23 लाख 80 हजार राशन कार्ड धारकों को उत्तराखंड में सस्ती दरों पर मिलेगी दो किलो दाल। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसके साथ 12 अन्य बिंदुओं पर भी फैसले लिए गए।

देश में सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं में आई कमी

जवाब ▶ संसद में सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे विपक्ष को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने दिखाया आईना

कहा– 2014 में 820 घटनाएं रिपोर्ट हुई थीं, जबकि 2018 में 708 मामले सामने आए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सांप्रदायिक तनाव और उन्मादी हिंसा पर घेरने की कोशिश में जुटे विपक्ष को सरकार ने बुधवार को आईना दिखाया है। साथ ही बताया है कि इनमें पहले के मुकाबले कमी आई है। 2014 में सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी 820 घटनाएं रिपोर्ट हुई थीं। 2018 में 708 घटनाएं रिपोर्ट हुई है। इसके साथ ही वह यह भी बताने से सरकार नहीं चूकी कि यह राज्य का विषय है और राज्यों को लगातार जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाते रहे हैं।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. कृष्णा रेड्डी बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2014 से सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने का काम शुरू किया। 2017 तक रिकॉर्ड करने के बाद इसे बंद कर दिया। बावजूद इसके उनके पास आइबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) के रिकॉर्ड के तहत जो जानकारी है, उनमें देश में सांप्रदायिक तनाव में लगातार कमी आ रही है। राज्यों को ऐसी घटनाओं में कमी लाने के लिए लगातार दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की ओर से उन्मादी हिंसा को लेकर किए गए सवालों पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि ऐसी घटनाओं की कोई एक प्रकृति नहीं है। यह सभी राज्यों में अलग-अलग तरीके से देखने को मिलती है। इसमें कांग्रेस शासित राज्य भी शामिल हैं। मेरे पास जो डाटा है, उसमें साफ है कि त्रिपुरा में जब माकपा की सरकार थी, तब भी उन्मादी हिंसा की घटनाएं हुई थीं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सरकार है, वहां भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में इसका सिर्फ भाजपा या एनडीए से संबंध ठीक नहीं है। वैसे भी ऐसी घटनाएं ठीक नहीं हैं। केंद्र लगातार इस दिशा में एयवाइजरी जारी करता रहता है।

उन्मादी भीड़ की हिंसा के पीछे आरएसएस : तेजप्रताप

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार के राजद विधायक तेजप्रताप यादव ने उन्मादी भीड़ की हिंसा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और बजरंग दल को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार को इसे देखना चाहिए। तेजप्रताप ने बुधवार को महुआ में एक निजी कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं।

असहिष्णुता पर बुद्धिजीवियों ने पीएम को लिखा खुला पत्र

जागरण संवाददाता, कोलकाता

अभिनेता-अभिनेत्री, फिल्मकार, सामाजिक कार्यकर्ता, इतिहासकार, समेत विभिन्न क्षेत्रों के 49 बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम असहिष्णुता को लेकर खुला पत्र लिखा है, जिसमें दलित व अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती हिंसा पर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की गई है। पत्र में मॉब लिंचिंग (उन्मादी भीड़ की हिंसा) के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया-'अफसोस की बात है कि जय श्रीराम का आज उकसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक भड़काऊ नारा बन गया है। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को राम के नाम पर डराया जा रहा है। राम की अवमानना करने पर रोक लगाने की जरूरत है।' पत्र में दावा किया गया कि 29 अक्टूबर, 2018 से जनवरी, 2019 के दौरान देश में 254 से ज्यादा धार्मिक पहचान पर आधारित नफरत वाले अपराध दर्ज किए गए हैं। पत्र में पूछा गया है कि इन मामलों के दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?'

हालात को देखते हुए पत्र लिखा गया : इस मुद्दे पर फिल्मकार व अभिनेत्री अपर्णा सेन ने कहा कि देश में दलित व अल्पसंख्यक समुदायों को जय श्रीराम के नाम पर जारी हिंसा व सामूहिक पिटाई का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे में अगर समय रहते इस तरह की अपराध पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आगे स्थिति और भयावह हो सकती है। कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने वालों को अगर देशद्रोही करार दिया जाता है तो यह संविधान के विपरीत है।

पत्र को लेकर भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने सवाल उठाया है। सवाल किया कि जब 'जय श्रीराम' कहने पर बंगाल में सामूहिक पिटाई कर हत्या की गई, तब वे लोग कहां थे? पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा नेता सायंतन बसु ने भी इस पत्र को लेकर बुद्धिजीवियों पर निशाना साधा और कहा कि इनमें से अधिकांश बुद्धिजीवी ममता बनर्जी के गुलाम हैं। उन्होंने भी सवाल किया कि जब 'जय श्रीराम' कहने पर बंगाल में लोगों को मारा जाता है, तब ये लोग पत्र क्यों नहीं लिखते हैं? 'जय श्रीराम' कहने पर जो हत्याएं हुई हैं, इसका पत्र में उल्लेख क्यों नहीं है?

पत्र में इनके हैं नाम

पत्र में मशहूर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल, अदूर गोपालकृष्णन, इतिहासकार रामचंद्र गुह्य, मणिरत्नम, अनुराग कश्यप, अपर्णा सेन, विनायक सेन, सौमित्र चटर्जी, गौतम घोष, कौशिक सेन, कोंकणा सेनशर्मा समेत कुल 49 हस्तियों के नाम है।

असहिष्णुता पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद बुधवार को कोलकाता में फिल्मकार अपर्णा सेन ने मामले पर प्रेसवार्ता की। प्रेट्र

संसद सत्र

फ्लेक्सी किरायों से रेलवे को फायदा, नहीं हटेंगे : गोयल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ **जून, 2019 तक इस योजना से रेलवे को 2426 करोड़ की अतिरिक्त कमाई**

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेनों के फ्लेक्सी किरायों को समाप्त करने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जून, 2019 तक इस स्कीम की बदौलत रेलवे को 2426 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी हो चुकी थी।

लोकसभा में बढ़ते रेल किरायों पर पूछे गए सवाल के जवाब में गोयल ने कहा कि रेलवे द्वारा संचालित 13,452 ट्रेनों में से केवल 141 राजधानी, शताब्दी और दूरंतो ट्रेनों के लिए ही फ्लेक्सी किरायों का प्रावधान है। इनमें से भी महज 32 ट्रेनों में ही इसे वास्तव में लागू किया गया है। इन ट्रेनों के लिए फ्लेक्सी किराया स्कीम को सितंबर, 2016 में शुरू किया गया था। तब से इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए फिलहाल इस स्कीम को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल किरायों की तुलना हवाई किरायों से करने पर गोयल ने कहा कि रेलवे और एयरलाइन यातायात के दो अलग-अलग माध्यम हैं। आकार, संपर्क क्षमता तथा सुविधा के लिहाज से इनके बीच तुलना नहीं की जा सकती। हवाई किरायों की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। जबकि रेलवे ने पूरे वर्ष के लिए न्यूनतम किराये निर्धारित कर रखे हैं। रेलवे के किराये श्रेणी तथा सुस्त या व्यस्त मौसम के अनुसार हवाई किरायों से कम या ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे में ये ग्राहकों पर निर्भर है कि वे अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से रेलवे को चुनते हैं या एयरलाइन को। गोयल के मुताबिक वर्ष 2015-16 में फ्लेक्सी किराये वाले मार्गों समेत सभी प्रकार के मार्गों में आरक्षित श्रेणियों में क्षमता से अधिक सीटें भरी रहती थीं, लेकिन फ्लेक्सी किराया लागू होने के बाद 2017-18 में इसमें और बढ़ोतरी हो गई।

सभी ब्राड गेज रेल मार्गों का होगा विद्युतीकरण : गोयल के मुताबिक रेलवे सभी ब्राड गेज रेल मार्गों का विद्युतीकरण कर रही है। रेल मंत्री ने लोकसभा में बताया कि रेलवे पूरे देश की बिजली का 1.27 फीसद (20.44 अरब यूनिट) का उपयोग करती है जबकि तीन फीसद (31. अरब लीटर) हाई स्पीड डीजल का प्रयोग करती है।

बाल यौन उत्पीड़न में मृत्युदंड के प्रावधान पर राज्यसभा की मुहर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ **बच्चियों के अलावा बालकों (सभी बच्चों) से यौन उत्पीड़न पर भी किया गया है दंड का प्रावधान**

दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर राज्यसभा ने बच्चों के साथ गंभीर यौन दुर्व्यवहार के दोषियों को मौत की सजा के प्रावधान पर मुहर लगा दी। राज्यसभा ने बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 पारित कर दिया है। इसमें मौत की सजा का प्रावधान के अलावा बच्चों के यौन उत्पीड़न के दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया हैं। अब इसे लोकसभा से पारित कराया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को राज्यसभा में पोक्सो विधेयक पेश किया था और सभी से समर्थन मांगा था। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने बाल्यकाल में बस में उनके साथ हुई छेड़छाड़ को याद किया और कहा कि कई मामलों में शिकायतें ही नहीं होती हैं। सरकार को सख्ती से निपटना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि वह विधेयक का स्वागत करते हैं लेकिन कड़े प्रावधान भी ऐसी घटनाएं नहीं रोक पा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास भी 2016 के बाद का बच्चों के यौन उत्पीड़न के अपराधों का आंकड़ा नहीं है। इसके अलावा ऐसे अपराधों में सजा की दर भी बहुत कम है।

अन्नाद्रमुक की नेता विजिला सत्यनाथन ने भी विधेयक का समर्थन करते हुए इन घिनौने अपराध के दोषियों का कैमिकल कैस्ट्रेशन करने की भी मांग की। सपा सांसद जया बच्चन ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून में संशोधन से समस्या का हल नहीं निकलेगा इसके लिए तय समय में जांच और सजा होना भी जरूरी है। साथ ही उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद कानून सख्त किया गया लेकिन ऐसी घटनाएं फिर भी नहीं रुकीं। अन्य दलों के नेताओं ने भी विधेयक का समर्थन किया।

स्मृति ईरानी ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती और तेजी से निपटने के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि विभिन्न अदालतों में ऐसे 1.66 लाख मामले लंबित हैं। उन्होंने बताया कि दो महीनों के अंदर जांच और एक साल के अंदर सजा का प्रावधान है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोक्सो कानून में संशोधन कर बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वालों को सख्त सजा देने का प्रावधान किया है। दोषियों को 20 साल से लेकर उम्रकैद और मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है ताकि सिर्फ बच्चियों को ही नहीं बल्कि बालकों को भी यौन उत्पीड़न से बचाया जा सके। इसके अलावा कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा तय की गई है जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की फोटो, वीडियो, कार्टून या फिर कंप्यूटर जेनेरेटड इमेज को इसके तहत दंडनीय अपराध की जद मे लाया गया है। ऐसी सामग्री रखने तक को 5000 से लेकर 10000 तक के जुर्माने के दंड की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर कोई ऐसी सामग्री का व्यवसायिक इस्तेमाल करता है तो उसे जेल की सख्त सजा भुगतनी होगी। कानून में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य से उन्हें दवा या रसायन आदि देकर जल्दी युवा करने को गैर जमानती अपराध बनाया गया है जिसमें पांच साल तक की कैद का प्रावधान है।

नौकरशाही में भारी फेरबदल भल्ला होंगे गृह सचिव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

असम- मेघालय कैडर के आइएएस अधिकारी अजय कुमार भल्ला नये गृह सचिव होंगे। भल्ला को फिलहाल गृह मंत्रालय में ओएसडी नियुक्त किया गया है। सितंबर में मौजूदा गृह सचिव राजीव गौबा की सेवानिवृति के बाद भल्ला उनकी जगह लेंगे। भल्ला फिलहाल ऊर्जा सचिव हैं। नियुक्ति से संबंधित कैबिनेट कमेटी ने भल्ला समेत एक दर्जन आइएएस अफसरों के तबादले और नियुक्तियों को हरी झंडी दी। साथ ही एक दर्जन आइएएस अधिकारियों को उन्हीं के विभागों में प्रोन्नति भी दी गई है।

अजय भल्ला 1984 बैच के आइएएस अधिकारी हैं और 2017 में ऊर्जा सचिव बनने के पहले महानिदेशक विदेश व्यापार थे। ऊर्जा मंत्रालय में इनके स्थान पर वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग को नियुक्त किया गया है। जबकि विनिवेश देखने वाले दीपम विभाग के सचिव अतनु चक्रवर्ती को वित्त मंत्रालय में गर्ग की जगह भेजा गया है। 1986 बैच के आइएएस अधिकारी अनिल कुमार खच्ची को दीपम विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

इधर-उधर

- **नियुक्ति से संबंधित कैबिनेट कमेटी ने तबादलों को दी हरी झंडी**
- **एक दर्जन आइएएस अधिकारियों का हुआ तबादला**

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन गुरु प्रसाद महापात्रा को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक प्रोत्साहन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) का सचिव नियुक्त किया गया है। वह रमेश अभिषेक की जगह लेंगे जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

इसी महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो रहीं दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन की जगह इसी विभाग में अतिरिक्त सचिव अंशु प्रकाश को प्रोन्नति देकर सचिव बनाया गया है। अंशु प्रकाश दिल्ली के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। डीपीआइआइटी में अतिरिक्त सचिव अतुल चतुर्वेदी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव बनाया गया है। गुजरात कैडर के पीडी वघेला को फार्मास्यूटिकल सचिव नियुक्त किया गया है।

रूस के पास नहीं हैं नेताजी से जुड़े दस्तावेज : सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सूचना हासिल करने के लिए 2014 के बाद से भारत ने रूस से कई बार आग्रह किया, लेकिन मास्को की तरफ से हर बार यही कहा गया कि बोस से संबंधित दस्तावेज उसे रूसी अभिलेखागार में नहीं हैं।

विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत ने सूचना मांगी थी कि क्या अगस्त, 1945 से पहले या बाद में किसी समय बोस रूस में मौजूद थे। अगस्त, 1945 या इसके बाद वह रूस से बाहर चले गए थे, जैसा कि कुछ शोधकर्ताओंकी ओर से दावा किया गया था। जवाब में रूस ने यही कहा कि उसे नेताजी के बारे में कोई दस्तावेज उसके अभिलेखागार में नहीं मिले हैं।

शास्त्री, मुखर्जी, उपाध्याय की मौत की जांच को आयोग नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की 'संदिग्ध मौत' की जांच के लिए कोई आयोग गठित करने पर विचार नहीं कर रही है। शिरोमणि अकाली दल के सदस्य सुखदेव सिंह ढींढसा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में दी। रेड्डी ने बताया कि हाल ही में इस संबंध में कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं, लेकिन सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

पश्चिम बंगाल का नाम बदलने को संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं

तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलने के लिए संसद में संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने की मांग की। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा में बुधवार को सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने के लिए संविधान में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। उधर, तृणमूल कांग्रेस के 12 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला।

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा, 'किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होती है। फिलहाल इस मामले में संविधान संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।' राय ने कहा कि बंग्ला नाम पड़ोसी देश बांग्लादेश की तरह है। राज्यसभा में वह उस सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला किए जाने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने क्यों अस्वीकृत कर दिया। मंत्री ने कहा, 'गांव, शहर या रेलवे स्टेशन आदि का नाम बदलने के लिए प्रशासनिक दिशा-निर्देश तय हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम में बदलाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्वीकृति जरूरी है।' उन्होंने बताया कि जब भी गांव, शहर, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे के नाम में बदलाव का प्रस्ताव आता है, मंत्रालय संबंधित विभागों से राय लेता है और उसके अनुरूप निर्णय लिया जाता है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 26 जुलाई को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने तीन प्रचलित भाषाओं बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी में राज्य का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित कर केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष भेजा था।

एएनआइ के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के 12 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने की मांग की।

राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को मिला तीन साल का सेवा विस्तार

संजय कोठारी फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव संजय कोठारी के सेवा विस्तार को सरकार ने बुधवार को हरी झंडी दे दी। आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति ने 1978 बैच (हरियाणा कैडर) के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारी कोठारी के सेवा विस्तार को हरी झंडे दी दी। उनका सेवा विस्तार राष्ट्रपति कार्यकाल के समानांतर या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त हो चुके कोठारी को राष्ट्रपति ने अपना सचिव नियुक्त किया था। अब वह राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल (25 जुलाई 2022) खत्म होने तक उनके सचिव बने रहेंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कोठारी लोक सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। राष्ट्रपति के सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति दो वर्षों के लिए की गई थी, जिसकी अवधि बुधवार को खत्म हो गई।

हिंदी गानों के शौकीन द्रमुक सांसद मैत्रेयन समेत पांच सांसदों की विदाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **राज्यसभा से डी राजा सहित एक साथ पांच सदस्य हुए सेवानिवृत्त**
- **पेशे से डॉक्टर मैत्रेयन राज्यसभा में रहे साढ़े चौदह साल**
- **गुलाम नबी आजाद ने मैत्रेयन और डी राजा दोनों की जमकर तारीफ की**

नई दिल्ली में बुधवार को राज्यसभा में अन्नाद्रमुक नेता डॉ वी. मैत्रेयन अपने विदाई भाषण के दौरान भावुक हो गए। एएनआइ

राज्यसभा में बुधवार को बेहद भावुक माहौल था। सदन में जीवन का एक लंबा वक्त गुजारने के बाद कई सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे थे। इनमें जो बेहद खास नाम था वह अन्नाद्रमुक नेता डॉ वी. मैत्रेयन और भाकपा नेता डी राजा का था। इस बीच सदन में साढ़े चौदह साल गुजारने वाले डॉ. मैत्रेयन तो भावुक भी हो उठे। उन्होंने कहा कि वह सदन में भले ही नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी आवाज को लोग जरूर याद रखेंगे। उन्होंने इस दौरान एक गीत भी गुनगुनाया। वहीं डी राजा ने कहा कि वह जहां भी रहेंगे, आम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। डी राजा को भाकपा ने पार्टी का महासचिव बनाया है।

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे सभी पांच सदस्यों को विदाई दी गई। इनमें मैत्रेयन, डी राजा, केआर अर्जुनन, डॉ. आर लक्ष्मणन, टी. रथीनवेल थे। डी राजा को छोड़कर इनमें सभी अन्नाद्रमुक पार्टी के सासंद थे।

विदाई भाषण के दौरान मैत्रेयन की सबसे ज्यादा तारीफ की गई है। सपा सासंद रामगोपाल ने उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि वह हिंदी गानों के काफी शौकीन थे। जब भी उन्हें हिंदी गाने सुनने की इच्छा होती थी, वह मैत्रेयन के पास जाकर सिर्फ एक लाइन गुनगुनाते थे। फिर तो वह पूरा गाना सुनाते थे।

नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी मैत्रेयन और डी राजा दोनों की जमकर तारीफ की। कहा कि डी राजा अब पहले ज्यादा सक्रिय दिखेंगे। उन्हें उनकी पार्टी ने महासचिव की जिम्मेदारी दी है। जबकि मैत्रेयन जो कि पेशे से डॉक्टर है, वह भी अपने पेशे में कुछ बेहतर करेंगे। वैसे भी वह समाज सेवा के चलते राजनीति में आए थे, जहां उन्हें प्रतिदिन सिर्फ दो हजार रुपये ही भत्ता मिलता है, जबकि वह करोड़ों कमा सकते हैं। वह जनहित के लिए ही राजनीति में सक्रिय हैं।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी डॉ मैत्रेयन की जमकर तारीफ की और कहा कि वह सदन को बताना चाहते हैं कि मैत्रेयन जी हिंदी गाने ही नहीं गाते हैं बल्कि वह मराठी गाने भी गाते हैं। उनका मराठी से भी गहरा जुड़ाव है। वह लंबे समय तक नागपुर में रहे हैं। इस दौरान सदन के और भी कई सदस्यों ने सेवानिवृत्त हो रहे पांचों सदस्यों के काम-काज की तारीफ की। इस दौरान माहौल बेहद भावकतापूर्ण हो गया।

केवल पाक से बातचीत गुलाम कश्मीर समेत हर मुद्दे पर होगी चर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर संबंधी बयान को लेकर जहां विपक्षी दलों का तेवर गर्म है, वहीं बुधवार को सरकार ने चर्चा को थोड़ा मोड़ते हुए कहा कि कश्मीर पर मध्यस्थता तो दूर की बात है, अगर पाकिस्तान से भी बात होगी तो वह गुलाम कश्मीर तक जाएगी।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लगातार 'प्रधानमंत्री सदन में आओ' के नारे लगाते रहे विपक्ष ने शून्यकाल में अवसर मिलने पर कहा कि चूंकि अब तक ट्रंप की ओर से बयान पर सफाई नहीं आई है इसीलिए जरूरी है पीएम बताएं कि ट्रंप ने जो कुछ कहा था वह सच है या नहीं। ट्रंप ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि भारत के पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही थी। हालांकि खुद अमेरिका ने इस बयान को खारिज कर दिया है। सरकार की ओर से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देते इससे पहले ही विपक्ष ने वाकआउट कर दिया। राजनाथ ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकती है। शिमला समझौते में तय हुआ था कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और उससे डिगने का सवाल ही नहीं है।

अवैध रेत खनन में केंद्र और पांच राज्यों को नोटिस

सख्त रुख

अवैध खनन के दोषियों के खिलाफ जांच कर खनन पट्टे निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शीर्ष अदालत ने मांगा जवाब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में अवैध रेत खनन का मामला**
- **अवैध खनन की जांच और खनन पट्टे निरस्त करने की मांग की गई है**

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन पर रोक लगाने और अवैध खनन के दोषियों के खिलाफ जांच कर खनन पट्टे रद करने की मांग पर केंद्र और पांच राज्यों तथा सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पांच राज्यों में तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पंजाब, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र हैं।

ये नोटिस बुधवार को न्यायाधीश एसए बोबडे, आर सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता एम अलागरसामी की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। शुरुआत में कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण और प्रणव सचदेवा से कहा कि उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था ताकि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के आदेश को देखने का मौका मिलता। इस पर भूषण ने कहा कि पूरे देश में नदियों और समुद्र के किनारों पर अवैध रेत खनन हो रहा है। राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे खनन को नियमित करें, लेकिन राज्य ऐसा कर पाने में नाकाम हैं।

उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन के दोषियों पर मुकदमा चलाया जाए और उनके पट्टे रद किए जाएं। पर्यावरण प्रभाव आकलन और नियमों के सख्त अनुपालन के बगैर रेत खनन की इजाजत न दी जाए। याचिका में अवैध रेत खनन मामलों की जांच सीबीआइ से कराने की मांग करते हुए तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अवैध रेत खनन के बाबत आई रिपोर्टों का भी हवाला दिया गया है। याचिका में मांग की गई है कि सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वह पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रबंधन और जन परामर्श व पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना 2006 के आकलन के बगैर रेत खनन की पर्यावरण मंजूरी नहीं देंगी।

उन्होंने कहा कि रेत खनन का पट्टा रखने वाले सभी पट्टाधारकों को आदेश दिया जाए कि वे पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रबंधन और अधिसूचना 2006 के लिए आवेदन करें। केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह उस क्षेत्र में रेत खनन के पर्यावरण प्रभाव का आंकलन किए बगैर कोई मंजूरी नहीं देगी। इसके अलावा एमएमडीआर कानून-1957 के तहत खनन प्लान मंजूर कराना जरूरी किया जाए। कहा गया है कि रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश 2016 को कड़ाई से लागू किया जाए। मांग है कि याचिका में अवैध रेत खनन घोटाले के जो प्रकरण उठाए गए हैं उनकी सीबीआइ से जांच कराई जाए। इसके साथ ही जो खनन पट्टा धारक अवैध खनन के दोषी पाए जाते हैं उन पर मुकदमा चलाया जाए और उनके पट्टे निरस्त किए जाएं। अवैध खनन पर सख्त कदम उठाया जाए।

राज्य की योजनाओं में भी आधार के इस्तेमाल के संशोधन को मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : कैबिनेट ने बुधवार को आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक-2019 में बदलावों को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें राज्य की योजनाओं और सब्सिडी के लिए आधार डाटा के इस्तेमाल को मंजूरी देने संबंधी प्रावधान जोड़ा गया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, राज्यों ने (इसकी) मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आधार का इस्तेमाल वहीं हो सकता है जहां कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन सीधे केंद्र से मिलता हो।

इस संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में भी आधार का इस्तेमाल हो सकेगा। इस माह की शुरुआत में संसद ने इस कानून में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की थी। जिसमें सिम कार्ड लेने और बैंक खाता खोलने में आधार को स्वैच्छिक बना दिया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि संसद में उक्त संशोधन विधेयक पेश होने के बाद उसमें राज्य योजनाओं में इसके इस्तेमाल संबंधी प्रावधान जोड़ दिया गया था, इसलिए कैबिनेट द्वारा बुधवार को दी गई मंजूरी सिर्फ औपचारिकता है।

कह के रहेंगे माधव जोशी